निर्णय बइजालास प्रकाश चन्द रेगर (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ (राज0)

प्रकरण सं 229/प्रार्थना पत्र/2014 तारीख दायरा:–30.07.2014

उनवान

1. मगनलाल पुत्र उदा जाति गुर्जर निवासी देवरी तहसील झालरापाटन

–प्रार्थी

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र बापूलाल जाति गुर्जर निवासी देवरी तहसील झालरापाटन
2. मथुरालाल पुत्र बापूलाल जाति गुर्जर निवासी देवरी तहसील झालरापाटन
3. जगदीश पुत्र बापूलाल जाति गुर्जर निवासी देवरी तहसील झालरापाटन
4. गोपाल पुत्र बापूलाल जाति गुर्जर निवासी देवरी तहसील झालरापाटन
5. रमकूबाई बेवा बापूलाल जाति गुर्जर निवासी देवरी तहसील झालरापाटन

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट, 1955

उपस्थित– विद्वान अभिभाषक श्री सतीश चन्द गुप्ता(प्रार्थी)
विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल माहेश्वरी(अप्रार्थीगण)

निर्णय

दिनांक:– 16.01.2018

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम देवरी तहसील झालरापाटन खतौनी सं0 67 नया 67 पुराना कुल किता 3 रकबा 19 बीघा 7 बिस्वा आराजी स्थित है। प्रश्नगत आराजी में प्रार्थी का 1/2 तथा अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 एवं फूलबाई, सजनबाई 1/2 हिस्से के खातेदार टिनेन्ट है तथा हिस्से अनुसार प्रार्थी विगत 3 वर्षो से अपने हिस्से की 1/2 आराजी पर काबिज है तथा काश्त करता चला आ रहा है तथा अप्रार्थीगण सं0 1 लगयात 5 एवं फूलबाई, सजनबाई को मौखिक रूप से बंटवाई पर दे रखी थी तथा फसल तैयार होने पर फसल का आधा हिस्सा प्रार्थी अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 5 एवं फूलबाई, एवं सजनबाई से प्राप्त कर लेता था तथा आराजी पर प्रार्थी का कब्जा बादस्तूर रहा प्रार्थी ने अपने हिस्से की 1/2 आराजी को इस वर्ष बटाई पर देने से नाराज हो गया तथा प्रार्थी को धमकी दी की जमीन पर मत आना तथा अप्रार्थीगण वादी के हिस्से के 1/2 आराजी पर ताकत के बल पर जबरन कब्जा करना चाहते है तथा बाहूबल के आधार पर प्रार्थी को आराजी से जबरन बेदखल करना चाहते है जिसका अप्रार्थीगण को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए उनके विरूद्ध दौराने वाद अस्थाई निषेधाज्ञा आवश्यक होगया है।

प्रश्नगत आराजी पर प्रार्थी 1/2 हिस्से का खातेदार टिनेन्ट है। यदि अप्रार्थीगण प्रार्थी को उसके हिस्से की आराजी से बेदखल कर दिया तो उसे अपरिमित क्षति होगी, जिसका आंकलन द्रव्य में किया जाना संभव नहीं होगा एवं सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने से अप्रार्थीगण को कोई असुविधा नहीं होगी।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण की तरफ से वकील श्री बद्रीलाल माहेश्वरी जवाब प्रार्थना–पत्र में फर्द दस्तावेजों के प्रस्तुत किये जिसकी प्रति वकील वादी को दी गई तथा प्रार्थना –पत्र बहस व पक्षकारान रखा गया। पत्रावली में उभयपक्षकारान उपस्थित होकर लिखित बहस प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई। उभयपक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया। वकील प्रार्थी ने अपनी लिखित बहस में बताया की ग्राम देवरी तहसील झालरापाटन खाता सं0 67 नया व पुराना 67 कुल खसरा नं0 3 किता रकबा 19 बीघा 7 बिस्वा में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा दर्ज है। जिसका वह रिकार्डेड खातेदार है तथा वह अपने हिस्से की आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है।

प्रार्थी मजदूरी करने के लिए बाहर चला गया था तथा प्रार्थी ने अपने हिस्से की आराजी को अप्रार्थीगण को बटाई पर दे रखा था। तथा फसल तैयार होने पर हिस्सा प्राप्त कर लेता था। वकील अप्रार्थी ने नन्दा के द्वारा उसके जीवनकाल में अप्रार्थी मथुरालाल को गोद लिये जाने के बाद स्वीकार की है।

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़ (राज0)

Scanned by CamScanner

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वकील अप्रार्थी ने गोदनामें के सम्बन्ध में किसी भी तरह का पंजीबद्ध या ओरल दस्तावेज अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे नन्दा के द्वारा अप्रार्थीगण मथुरालाल का गोद लिया जाना साबित हो और न ही ग्राम पंचायत रूण्डलाव द्वारा वर्ष 2004 में नन्दा की मृत्यु के बाद खोला गया नामान्तरकरण को अप्रार्थीगण ने उसकी अपील उच्चतर न्यायालय में नहीं की बल्कि अप्रार्थीगण ने वर्ष 2004 में ग्राम पंचायत रूण्डलाव द्वारा खोला गया इन्तकाल को स्वीकार किया गया क्योंकि पंचायत द्वारा इन्तकाल खोले जाने से पूर्व सही तौर पर सम्पूर्ण तथ्यों की जांच के बाद इन्तकाल तस्दीक किया जाता है। क्योंकि पंचायत के सरपंच व मेम्बर स्थानीय व्यक्ति होते है। जिन्हें सम्पूर्ण वस्तुस्थिति का ज्ञान होता है।

वकील अप्रार्थी ने अपनी लिखित बहस में यह भी अवगत कराया की आर0टी0 एक्ट 212 के तहत जवाब के साथ विपरित जवाब पेश करने पर कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए वह पढ़े जाने एवं चलने योग्य नहीं होने के कारण निरस्त करने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थीगण ने अपनी लिखित बहस में बताया की नन्दलाल पुत्र उदा गुर्जर निवासी देवरी ने अमरसिंह पुत्र कालू से दिनांक 22.01.1965 को आराजी खसरा नं0 122 रकबा 23 बीघा 2 बिस्वा 800 रू0 में खरीद की थी। जिसके बाबत् ग्राम पंचायत रूण्डलाव ने नामान्तरकरण 84 दिनांक 18.08.1965 को तस्दीक किया इस प्रकार विवादित आराजी नन्दलाल उर्फ नन्दा पुत्र उदा के खाते में दर्ज रही किन्तु दिनांक 10.01.2004 को नामान्तरकरण सं0 285 की प्रंक्रिया पटवारी हल्का ने शुरू की उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया की खातेदार नन्दा पुत्र उदा गुर्जर सात माह पूर्व फौत हो गया है। उसकी पत्नि भी काफी समय पूर्व नाते चली गयी थी। नन्दा ने अपने जीवनकाल में मथुरालाल पुत्र बापूलाल को गोद रख लिया जिसने नन्दा के मरने के बाद सभी क्रियाकर्म मथुरालाल द्वारा किया गया। ग्राम पंचायत रूण्डलाव ने सभी तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए दिनांक 28.02.2004 को बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये वादी (प्रार्थी) के हक में इन्तकाल तस्दीक कर दिया गया। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बनावटी एवं झूठे तथ्यों पर आधारित है। इसलिए प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावें।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत की गई लिखित बहस का अद्योपान्त अवलोकन किया। जिससे जाहिर हुआ की वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का विवादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा दर्ज है एवं वह रिकार्डेड खातेदार है। अप्रार्थीगण ने दिनांक 28.02.2004 का ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी के पक्ष में खोले गये नामान्तरकरण की अपील सक्षम न्यायालय में नहीं की गई और न ही मृतक नन्दा के द्वारा उसके जीवनकाल में अप्रार्थीगण मथुरालाल को गोद लिया जाने का कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज एवं सबूत भी प्रस्तुत नहीं किये गये है। ऐसी स्थिति में मामला प्रथमदृष्टतया प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। जिससे सुविधा सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त भी उन्हीं के पक्ष में प्रमाणित होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 को ताफैसला मूलवाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थी को जबरन उसके हिस्से की आराजी पर काश्त करने से नहीं रोकें तथा प्रार्थी के हिस्से की आराजी पर बेजा मदाखलत एवं महाजमत ना स्वयं करें न अन्य किसी से करवायें। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट ताफैसला वाद (कन्फर्म) किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2018 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(प्रकाशचन्द रेगर)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, झालावाड

उपखण्ड अधिकारी
झालावाड़ (राज.)

Scanned by CamScanner